Bill No.15 of 2025

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixthYear of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Factories (Rajasthan Amendment) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 54, Central Act No. 63 of 1948.- In section 54 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1); and

(ii) after the sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette, extend the daily maximum hours of work specified in this section up to ten hours inclusive of interval for rest in any day, subject to a maximum of forty-eight hours in any week as specified in section 51, in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, and the

remaining days of the said week for the worker shall be paid holidays.”.

3. Amendment of section 55, Central Act No. 63 of 1948.- In section 55 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may by notification in the Official Gazette, extend the total number of hours of work of a worker without an interval to six hours in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54.”.

4. Amendment of section 56, Central Act No. 63 of 1948.- In section 56 of the principal Act,-

(i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1); and

(ii) after the sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette, increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of factories on such conditions as it may deem expedient, due to the provision of flexibility in working hours as specified in sub-section (2) of section 54.”.

5. Amendment of section 64, Central Act No. 63 of 1948.- In section 64 of the principal Act,-

(a) the existing expression in sub-section (1) “other than the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 66 and of the proviso to that sub-section,” shall be deleted.

(b) in clause (iv) of sub-section (4), for the existing word "fifty", the words "one hundred" shall be substituted."

6. Amendment of section 65, Central Act No. 63 of 1948.- In sub-section (3) of section 65 of the principal Act,-

(i) in clause (iv), for the existing words “seventy-five”, the words “one hundred and forty four” shall be substituted;

(ii) after the clause (iv) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

> “(v) a worker may be required to work for overtime subject to the consent of such worker for such work except worker required to work for safety activities.”.

7. Amendment of section 66, Central Act No. 63 of 1948.- In sub-section (1) of section 66 of the principal Act, for the existing clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

> “(b) women shall be entitled to be employed in all factories for all types of work and they may also be employed, with their written consent before 6 A.M. and beyond 7 P.M. subject to such conditions relating to safety and security measures or safeguards, holidays and working hours or any other condition, to be observed by the occupier, as may be prescribed.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of India (GOI) has issued a Compliance Reduction and Deregulation docket for the State, seeking revision in working hours limit for factory workers. So, It is considered necessary to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Rajasthan to increase the maximum production capacity of factories and allow factory occupier to create more jobs and to ensure presence of workers to work or supervise machines or processes as required.

The proposed Bill also provides the increased presence of women in the labour force and enable them to contribute more to the economy and to enhance their own earning and to benefit women aspiring for jobs in remunerative industries which are regularly operating night shifts, subject to their written consent with safeguards.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules, prescribing the conditions relating to safety and security measures or safeguards, holidays and working hours or any other condition for women.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matter of detail.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE FACTORIES ACT, 1948

(Central Act No. 63 of 1948)

XX XX XX XX XX XX

54. Daily hours.- Subject to the provisions of section 51, not adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than nine hours in any day:

Provided that, subject to the previous approval of the Chief Inspector, the daily maximum specified in this section may be exceeded in order to facilitate the change of shifts.

56. Spread over.- The periods of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest under section 55, they shall not spread over more than ten and a half hours in any day:

Provided that the Chief Inspector may, for reasons to be specified in writing increase the spread over up to twelve hours.

XX XX XX XX XX XX

64. Power to make exempting rules.- (1) The State Government may make rules defining the persons who hold positions of supervision or management or are employed in a confidential position in a factory or empowering the Chief Inspector to declare any person, other than a person defined by such rules, as a person holding position of supervision or management or employed in a confidential position in a factory if, in the opinion of the Chief Inspector, such person holds such position or is so employed, and the provisions of this Chapter, other than the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 66 and of the proviso to that sub-section, shall not apply to any person so defined or declared:

Provided that any person so defined or declared shall, where the ordinary rate of wages of such person does not exceed the wage limit specified in sub-section (6) of section 1 of the

Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), as amended from time to time, be entitled to extra wages in respect of overtime work under section 59.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx

(4) In making rules under this section, the State Government shall not exceed, except in respect of exemption under clause (a) of sub-section (2), the following limits of work inclusive of overtime:—

(i) to (iii) xx xx xx xx xx xx

(iv) the total number of hours of overtime shall not exceed fifty for any one quarter.

Explanation.- "Quarter" means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

(5) xx xx xx xx xx xx

65. Power to make exempting orders.- (1) to (2) xx xx xx

(3) Any exemption granted under sub-section (2) shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) to (iii) xx xx xx xx xx

(iv) no worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed seventy-five.

Explanation.- In this sub-section "quarter" has the same meaning as in sub-section (4) of section 64.

66. Further restrictions on employment of women.- (1) The provisions of this Chapter shall, in their application to women in factories, be supplemented by the following further restrictions, namely:-

(a) xx xx xx xx xx xx

(b) no woman shall be required or allowed to work in any factory except between the hours of 6 A.M. and 7 P.M.:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of any factory or group or class or description of factories, very the limits laid down in clause (b), but so that no such variation shall authorise the employment of any woman between the hours of 10 P.M. and 5 A.M.:

XX XX XX XX XX XX

2025 का विधेयक सं.15

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 54 का संशोधन.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63), जिसे इसमें इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है, राजस्थान राज्य में इसके लागू होने के निमित्त उसकी धारा 54 में,-

(i) विद्यमान उपबंध को उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, इस धारा में विनिर्दिष्ट काम के अधिकतम दैनिक घंटों को, धारा 51 में

विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घंटों के अध्यधीन रहते हुए, किसी दिन विश्राम के लिए अन्तरालों को समाविष्ट करते हुए, ऐसी शर्तों पर जो वह समीचीन समझे, दस घंटे तक बढ़ा सकेगी और उक्त सप्ताह के शेष दिन कर्मकार के लिए वैतनिक अवकाश होंगे।"।

3. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 55, का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, किसी कर्मकार के किसी अंतराल के बिना काम के कुल घंटों की संख्या को, धारा 54 की उप-धारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट काम के घंटों में लचीलेपन के उपबंध के कारण ऐसी शर्तों पर, जो वह समीचीन समझे, छह घंटे तक बढ़ा सकेगी।"।

4. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 56 में,-

(i) विद्यमान उपबंध उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, धारा 54 की उप-धारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट काम के घंटों में लचीलेपन के उपबंध के

कारण, ऐसी शर्तों पर, जो वह समीचीन समझे, विश्राम के लिए अंतरालों सहित, विस्तृति को बारह घंटों तक बढा सकेगी।"।

5. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 64 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 64 में,-

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "और धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के और उस उपधारा के परन्तुक के उपबन्धों के सिवाय" हटायी जायेगी।

(ख) उप-धारा (4) के खण्ड (iv) में, विद्यमान शब्द "पचास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ" प्रतिस्थापित की जायेगी।"।

6. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 65 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (3) में,-

(i) खण्ड (iv) में, विद्यमान शब्द "पचहत्तर", के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ चवालीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।"।

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(v) सुरक्षा क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित कर्मकार को छोड़कर, किसी कर्मकार से, ऐसे काम के लिए कर्मकार की सहमति के अध्यधीन रहते हुए, अतिकाल काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी।"।

7. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 66 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) में, विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) अधिष्ठाता द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सुरक्षा और संरक्षा अध्युपायों या रक्षोपायों, अवकाशों और काम के घंटों से संबंधित किसी शर्त या किसी अन्य शर्त, जो विहित की जाये, के अध्यधीन रहते हुए, स्त्रियां समस्त कारखानों में, समस्त प्रकार के

कामों के लिए नियोजित किए जाने की हकदार होंगी और उन्हें उनकी लिखित सहमति से, पूर्वाहन छह बजे से पूर्व और अपराहन सात बजे के पश्चात् भी नियोजित किया जा सकेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने कारखाना कर्मकारों के लिए काम के घंटों की सीमा के पुनरीक्षण करने के लिए, राज्य हेतु, अनुपालन में कमी और अविनियमन संबंधी डाकेट जारी किया है। इसलिए, कारखानों की अधिकतम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कारखाना अधिष्ठाता को अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए अनुज्ञात करने और काम करने के लिए कर्मकारों की उपस्थिति या मशीनों या यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

प्रस्तावित विधेयक श्रम बल में स्त्रियों की उपस्थिति को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान देने के लिए और अपनी स्वयं की आजीविका बढ़ाने में समर्थ बनाने हेतु और लाभकारी उद्योगों में नौकरी की आकांक्षा करने वाली स्त्रियां, जो नियमित रूप से रात्रिकालीन पारीयां संचालित कर रही हैं, रक्षोपायों के साथ उनकी लिखित सहमति के अध्यधीन रहते हुए, लाभ पहुंचाने का भी उपबंध करता है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को स्त्रियों के लिए सुरक्षा और संरक्षा अध्युपायों या रक्षोपायों, अवकाशों और काम के घंटों से संबंधित किसी शर्त या कोई अन्य शर्त विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

54. दैनिक घंटे- धारा 51 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई वयस्थ कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घंटों से अधिक के लिए काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन यह है कि पारियों का बदला जाना सुकर बनाने के लिए इस धारा में विनिर्दिष्ट दैनिक अधिकतम बढाया जा सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

56. विस्तृति- (1) कारखाने में किसी वयस्थ कर्मकार के काम की कालावधियां इस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्राम के लिए अन्तरालों के सहित उनकी किसी दिन साढे दस घंटे से अधिक विस्तृति नहीं होगी:

परन्तु मुख्य निरीक्षक उन कारणों से, जो लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे, विस्तृति को बढाकर बारह घंटे तक की कर सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

64. छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार उन व्यक्तियों को, जो किसी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण किए हैं या किसी गोपनीय पद पर नियोजित हैं, परिभाषित करने वाले नियम बना सकेगी या मुख्य निरीक्षक को इस बात के लिए सशक्त

करने वाले नियम बना सकेगी कि वह ऐसे नियमों द्वारा परिभाषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कारखाने में पर्यवेक्षक या प्रबन्धक का पद धारण करने वाले या गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति के रूप में उस दशा में घोषित कर सकता है जब मुख्य निरीक्षक की राय में वह व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या ऐसे नियोजित है और धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के और उस उपधारा के परन्तुक के उपबन्धों के सिवाय इस अध्याय के उपबन्ध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे:

परन्तु इस प्रकार परिभाषित या घोषित कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अतिकाल काम की बाबत वहां अतिरिक्त मजदूरी का हकदार होगा जहां ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर समय-समय पर यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 1 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट मजदूरी सीमा से अधिक नहीं होती है।

(2) से (3) XX XX XX XX XX XX XX

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन छूट में के सिवाय, अतिकाल सहित काम की निम्नलिखित परिसीमाओं से आगे नहीं जाएगी:-

(i) से (iii) XX XX XX XX XX XX

(iv) अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए पचास से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- "तिमाही" से लगातार तीन मास की वह कालावधि अभिप्रेत है जो पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई या पहली अक्तूबर को आरंभ हो।

(5) xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx

65. छूट के आदेश देने की शक्ति- (1) से (2) xx xx xx xx

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-

(i) से (iii) xx xx xx xx xx xx xx

(iv) किसी भी कर्मकार को लगातार सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में "तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है।

xx xx xx xx xx xx

66. स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बंधन- (1) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात्:-

(क) xx xx xx xx xx xx xx

(ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रात: और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी किन्तु इस प्रकार कि ऐसी फेरफार 10 बजे सायं और 5 बजे प्रात: के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे;

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 15 of 2025

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

<u>2025 का विधेयक सं. 15</u>

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63) को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, **प्रभारी मंत्री)**